

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा / मुजफ्फरनगर / मेरठ / गौतमबुद्धनगर / गाजियाबाद / श्रावस्ती / बहराइच /
रामपुर / गोरखपुर / हरदोई / सिद्धार्थनगर / बदायूं / सहारनपुर / शाहजहाँपुर /
सीतापुर / उन्नाव / आजमगढ़ / काशीराम नगर / मुरादाबाद / कुशीनगर / बस्ती /
महाराजगंज / फर्रुखाबाद / कानपुर नगर / बरेली / लखीमपुर खीरी / पीलीभीत।

राजस्व विभाग

लखनऊ : दिनोंक : 11 अप्रैल, 2011

विषय : वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की
पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2011-12 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की अगामी वर्षा के पूर्व पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० 143,50,00,000/- (रुपये एक सौ तेतालीस करोड़ पचास लाख मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं।	जनपद का नाम	मद	धनराशि (लाख रु० में)
1	गोण्डा	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	300.00
2	मुजफ्फरनगर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	800.00
3	मेरठ	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	100.00
4	गौतमबुद्धनगर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	100.00
5	गाजियाबाद	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	700.00
6	श्रावस्ती	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	700.00
7	बहराइच	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	1000.00
8	रामपुर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	500.00

9	गोरखपुर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	500.00
10	हरदोई	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	700.00
11	सिद्धार्थनगर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	1000.00
12	बदायूँ	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	300.00
13	सहारनपुर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	1500.00
14	शाहजहाँपुर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	1000.00
15	सीतापुर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	500.00
16	उन्नाव	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	500.00
17	आजमगढ़	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	50.00
18	काशीराम नगर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	300.00
19	मुरादाबाद	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	1000.00
20	कुशीनगर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	200.00
21	बस्ती	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	100.00
22	महाराजगंज	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	300.00
23	फर्रुखाबाद	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	300.00
24	कानपुर नगर	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	100.00
25	बरेली	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	300.00
26	लखीमपुर खीरी	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	1000.00
27	पीलीभीत	क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु	500.00
	योग		14350.00

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना/मरम्मत मद में धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में शासनादेश संख्या-3253/1-10-2008-12(73) /2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 व 4 में संदर्भित शासनादेश संख्या- जी.आई.-134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश संख्या-3253/1-10-2008-12(73) /2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा।
5. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।
6. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना हेतु व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन इस धनराशि से नहीं किया जायेगा।
7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः क्षति के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के

साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते समीकित हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-4 के प्रस्ताव-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तिकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

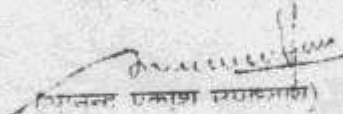
कै०के० सिन्हा
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या-163/(1)/1-10-2011-12(34)/2011, तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/ऑडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित जनपदों के मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन लखनऊ को इस जनपदों के साथ कि कृपया इसे राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
- 5- वरिष्ठ विस्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-0/11 राजस्व विभाग के उद्देश्यार्थ।
- 9- गार्ड फाइल।

जसा है,


(प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त)
संयुक्त सचिव, राहत